



सां/No.: 5-1(70)/2009-PD

दिनांक/Dated: 17.09.2018

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by Govt. of India, MoF, Dept. of Expenditure for information, guidance and compliance.

क्रम सं. S. No	कार्यालय ज्ञापन सं / OM No.	विषय/ Subject
1	दिनांक 07.09.2018 का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/2018-E.II (B)	केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.07.2018 से लागू संशोधित दरों के संबंध में।
	OM No. 1/2/2018-E.II (B) dated 07.09.2018	Grant of Dearness Allowance to Central Government Employees - Revised Rates effective from 1.7.2018 - reg.

भवदीय/Yours faithfully,

(बी. के. सिंह /B. K. Singh)
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) प्रमुख, आईटी डिवीजन - इस सर्कुलर पत्र को वेबसाइट और नीति रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy

सं. 1/2/2018-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

07 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 15 मार्च, 2018 के का.जा.सं.1/1/2018-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जुलाई, 2018 से मूल वेतन के 7% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा।


2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।



(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

5-1(70)/2009-73

No. 1/2/2018-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 7th September, 2018.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2018.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/1/2018-E-II (B) dated 15th March, 2018 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 7% to 9% of the basic pay with effect from **1st July, 2018**.


2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.



(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.